

अनुदान संख्या 103 - जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 103 – MINISTRY OF WATER RESOURCES

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:		
स्वीकृत-	Voted-		
मूल	Original 1020,52,00		
		1050,56,00	929,43,41
			-121,12,59
पूरक	Supplementary 30,04,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		69,05,09
पूंजीगत:	Capital:		
प्रभारित-	Charged-	4,00,00	3,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-1,00,00
			30,00
स्वीकृत-	Voted –	107,00,00	60,35,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-46,64,04
			36,39,35

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹12112.59 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹3004.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹12112.59 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3004.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत
हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the
following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O. 3125.00	6370.38	3768.28	-2602.10
पू.	S. 3000.00			
पु.	R. 245.38			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O. 9000.00
पु.	R. -9000.00			
मुख्य शीर्ष "2701"	Major Head "2701"			
मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation			
मू.	O. 40209.00	38208.69	37189.65	-1019.04
पू.	S. 2.00			
पु.	R. -2002.31			
मुख्य शीर्ष "2702"	Major Head "2702"			
लघु सिंचाई	Minor Irrigation			
मू.	O. 21331.00	19640.28	19488.61	-151.67
पू.	S. 1.00			
पु.	R. -1691.72			
मुख्य शीर्ष "2711"	Major Head "2711"			
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	Flood Control and Drainage			
मू.	O. 10874.00	18011.94	17331.16	-680.78
पु.	R. 7137.94			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	13434.00	11627.93	11002.74	-625.19
पु.	R.	-1806.07			

(I) ₹11050.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10800.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹11050.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹10800.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552"-

(क) "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(a) "Flood Control - Other Expenditure"-

(i) "नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - ₹8000.00 लाख ;

(i) "River Management Activities and Works related to Border Areas"- ₹8000.00 lakhs;

(ii) "बाढ़ का पूर्वानुमान" - ₹300.00 लाख ;

(ii) "Flood forecasting" - ₹300.00 lakhs;

(ख) "सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) - अन्य व्यय - जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण" - ₹200.00 लाख; और

(b) "General (Major and Medium Irrigation) - Other Expenditure - Investigation of Water Resources Development Scheme" - ₹200.00 lakhs; and

(ग) "भू-जल अन्वेषण - भू-जल प्रबंधन और विनियमन" - ₹300.00 लाख।

(c) "Ground Water Investigation - Ground Water Management and Regulation"- ₹300.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” - “योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना-सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना” - ₹2000.00 लाख पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” - “सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय” - ₹2451.65 लाख के मूल प्रावधान को ₹3000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5451.65 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, बगलिहार जल विद्युत परियोजना पर तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष कम सुनवाई होने के कारण ₹2220.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “3451” - “अन्य कार्यालय - वंशाधारा जल विवाद अधिकरण” - ₹145.03 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बिलों के प्राप्त होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2701” - “सामान्य” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “प्रशिक्षण - केन्द्रीय जल संसाधन प्रणाली प्रशिक्षण और योजना प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय जल अकादमी” - ₹105.48 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दौरा खर्चों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और कम प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण हुई।

(का) “अनुसंधान” -

(क) “अनुसंधान और विकास कार्यक्रम” - ₹1214.22 लाख की बचत (₹5350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय जल आयोग द्वारा कम संख्या में जल उपयोग संबंधी दक्षता कार्यक्रमों को शुरू करने, कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने, बैठकें/ कार्यशालाएं/संगोष्ठियां रद्द होने और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अध्ययनों के लिए

(B) Major Head “3601”- “Non Plan Grants – Major Irrigation (Non-Commercial) - Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project”- ₹2000.00 lakhs -due to non-release of funds owing to the decision of the Hon’ble Supreme Court in the matter of Presidential reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(II) Under Major Head “3451” – “Secretariat– Ministry of Water Resources” – the original provision of ₹2451.65 lakhs was augmented to ₹5451.65 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2220.85 lakhs - due to less hearing before Neutral Expert on Baglihar Hydro Electric Project.

(III) Under Major Head “3451” – “Other Offices – Vansadhara Water Disputes Tribunal”- saving of ₹145.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to receipt of less bills and less tours undertaken.

(IV) Under Major Head “2701” – “General” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Training – Central Training Institute of Water Resources System and Planning Management/National Water Academy” – saving of ₹105.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards tour expenses and slow progress of works owing to receipt of less proposals.

(B) “Research” –

(a) “Research and Development Programmes”- saving of ₹1214.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5350.00 lakhs) was due to taking up of less number of water used efficiency programmes by Central Water Commission, receipt of less proposals, delay in process of procurement, cancellation of meetings/workshops/seminars and non-finalisation of agency for

अभिकरण अंतिम रूप से तय नहीं हो पाने के कारण हुई।

(ख) “जल विज्ञान परियोजना” - ₹2578.41 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, स्कीम के प्रतिपूर्ति आधारित होने के कारण हुई।

(गा) “अन्य व्यय” -

(क) “जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास” - ₹2156.85 लाख की बचत (₹5050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) “जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण” - ₹772.61 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “सूचना, शिक्षा और संचार” - ₹169.92 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने और कार्यों अर्थात् आडियो वीडियो स्पॉट्स, जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए वृत्तचित्र को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2702” - “भू-जल - अन्वेषण” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान” - ₹280.83 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

performance evaluation studies by Central Water Commission.

(b) “Hydrology Project” - saving of ₹2578.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, scheme being on reimbursement basis.

(C) “Other Expenditure”—

(a) “Development of Water Resources Information System” – saving of ₹2156.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 5050.00 lakhs) was due to release of less funds to National Remote Sensing Centre owing to non-receipt of utilization certificates.

(b) “Investigation of Water Resources Development scheme” - saving of ₹772.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to delay in process of procurement, slow progress of work and receipt of less proposals.

(c) “Information, Education and Communication” - saving of ₹169.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less tours undertaken and non-completion of works viz. audio video spots, documentary for Mass Awareness Program.

(V) Under Major Head “2702” - “Ground Water – Investigation” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Rajiv Gandhi National Training and Research Institute for Ground Water” - saving of ₹280.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to less tours undertaken.

(खा) “भू-जल प्रबंधन और विनियमन” - ₹1783.44 लाख की बचत (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से निर्माण कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2711” - “बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - बाढ़ पूर्वानुमान” के अंतर्गत ₹897.73 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, वाहनों की मरम्मत और उनके रखरखाव तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” - “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सतही जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास” के अंतर्गत ₹395.39 लाख की बचत (₹1434.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VIII) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹144.96 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत और 38 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹330.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2701” - “सामान्य - अनुसंधान - राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹329.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष “2701” - “सामान्य” -

(क) “आंकड़ा संग्रहण - केन्द्रीय जल आयोग” - ₹1902.85 लाख का अधिक व्यय (₹6513.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित स्थापना प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) “Ground Water Management and Regulation” – saving of ₹1783.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs) was due to non-completion of works owing to receipt of less proposals.

(VI) Under Major Head “2711”- “Flood Control- Other Expenditure – Flood Forecasting”- saving of ₹897.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to less tours undertaken, repairs and maintenance of vehicles and delay in process of procurement.

(VII) Under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Surface Water – Other Grants – Development of Water Resources Information System” – saving of ₹395.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1434.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(VIII) Under two heads savings of ₹144.96 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 34 percent and 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹330.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head “2701” – “General – Research – National Institute of Hydrology”. Actual excess, however, was ₹329.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head “2701” – “General”-

(a) “Data collection - Central Water Commission” – excess of ₹1902.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6513.20 lakhs) was due to requirement of additional funds towards work charged establishment charges.

- (ख) “निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग”- ₹180.11 लाख का अधिक व्यय (₹2089.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “अनुसंधान” -
- (i) “केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र”- ₹1021.42 लाख का अधिक व्यय (₹3197.38 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र”- ₹182.22 लाख का अधिक व्यय (₹591.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (घ) “परामर्श सेवा - केंद्रीय जल आयोग”- ₹357.37 लाख का अधिक व्यय (₹2073.65 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) मुख्य शीर्ष “2702” - “भू-जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू-जल बोर्ड” - ₹214.88 लाख का अधिक व्यय (₹9831.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (गा) मुख्य शीर्ष “2711” - “बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय”-
- (क) “केंद्रीय जल आयोग” - ₹1274.31 लाख का अधिक व्यय (₹5376.87 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ख) “नदी प्रबंधन कार्यकलापों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य” - ₹6087.72 लाख का अधिक व्यय (₹1900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (b) “Direction and Administration - Central Water Commission” – excess of ₹180.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2089.65 lakhs);
- (c) “Research” -
- (i) “Central Water and Power Research Station” - excess of ₹1021.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3197.38 lakhs);
- (ii) “Central Soil and Materials Research Station” - excess of ₹182.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹591.85 lakhs);
- (d) “Consultancy–Central Water Commission” – excess of ₹357.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2073.65 lakhs);
- (B) Major Head “2702” – “Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board” – excess of ₹214.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9831.00 lakhs);
- (C) Major Head “2711” – “Flood Control – Other Expenditure” –
- (a) “Central Water Commission” – excess of ₹1274.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5376.87 lakhs); and
- (b) “River Management Activities and Works related to Border Areas”- excess of ₹6087.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1900.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अतिरिक्त महंगाई भत्ता, लंबित बकाया और वेतनवृद्धियों की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹135.50 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत तथा 78 प्रतिशत था।

Excess under the above seven heads was due to requirement of additional funds towards payment of additional dearness allowance, pending arrears and increments.

(III) Under two heads excess of ₹135.50 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 29 percent and 78 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, ₹100.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4702"	Major Head "4702"			
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Minor Irrigation			
मू.	O	950.00		
			1000.00	686.14
				-313.86
पु.	R	50.00		
मुख्य शीर्ष "4711"	Major Head "4711"			
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Flood Control Projects			
मू.	O	1400.00		
			1150.00	948.20
				-201.80
पु.	R	-250.00		
मुख्य शीर्ष "5075"	Major Head "5075"			
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Transport Services			
मू.	O	8100.00		
			4860.65	4401.62
				-459.03
पु.	R	-3239.35		

(I) ₹250.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4702” - “भू-जल - अवसंरचना विकास” के अंतर्गत ₹263.86 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य को शुरू करने की औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “4711” - “बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय-अवसंरचना विकास” के अंतर्गत ₹451.80 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण और केंद्रीय जल आयोग से ड्राइंग और डिजाइन की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “5075” - “नदी प्रशिक्षण निर्माण-कार्य-फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध” के अंतर्गत ₹3698.38 लाख की बचत (₹8100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से निर्माण-कार्य पूरा न हो पाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹250.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head “4702” – “Ground Water - Infrastructure Development” – saving of ₹263.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs) was due to non-completion of formalities to undertake the entire work by Central Public Works Department.

(III) Under Major Head “4711” – “Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development” – saving of ₹451.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to delay in land acquisition and receipt of drawing and design from Central Water Commission.

(IV) Under Major Head “5075”- “River Training Works – Farakka Projects – Farakka Barrage” - saving of ₹3698.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8100.00 lakhs) was due to non-completion of works owing to receipt of less proposals.